


तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p style="text-align: center;">चैनाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़)</p> <p>सू.अ.अपील संख्या 81 / 2023</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
13.06.23	<p>अपीलार्थी चैनाराम पुत्र जगदीशराम जाट निवासी ग्राम जवासिया, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.01.2023 में (1) ग्राम सिन्धीपुरा की खातेदारी भूमि मूल खसरा न. 1141 रकबा 47 बीघा 13 बिस्वा में से ही मीन बट्टा खसरा संख्या 1141, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1141/5, 1141/6, 1141/8 एवं खसरा संख्या 1143, 1143/1 सहित 11 बीघा 9 बिस्वा दर्ज है। उपरोक्त खसरों में खातेदारी व गै.मु. आवादी सहित वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड किस नाम से दर्ज है, (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार पीपाड़) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार पीपाड़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलेक्टर जोधपुर जिला कलेक्टर, जोधपुर (सप.१) </p>	